राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 611/2008/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, जोन–द्वितीय, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स आरको एन्टरप्राईजेज, मोतीलाल अटल रोड़, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी. कुमार, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 01/07/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 232/आरएसटी/1999–2000/जी/2004–05 में पारित किये गये आदेश दिनांक 02.06.2007 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, वृत–द्वितीय, जोन–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के अधिनियम की धारा 78(5) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 04.03.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.03.2000 को वाहन संख्या आर.आर.जेड़–5295 को अजमेर रोड़ पर भांकरोटा से आगे चैक किये जाने में वाहन में 60 नग कूलर जयपुर से अजमेर के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल्टी संख्या 2278 व 2279 दिनांक 02.03.2000 एवं बिल संख्या 2277 दिनांक 02.03.2000 विक्रेता–मैसर्स आरको एन्टरप्राईजेज, जयपुर क्रेता–मैसर्स हिमगिरी इलेक्ट्रिक एण्ड इलेक्ट्रोनिक अजमेर का प्रस्तुत किया गया। बिल में माल कर चुका अंकित किया हुआ था। वाहन चालक ने अपने बयानों में बताया कि उसके द्वारा माल मैसर्स सूर्या इंजीनियरिंग वर्क्स, विश्वकर्मा जयपुर से भरा है। इस पर सक्षम अधिकारी ने मैसर्स सूर्या इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा की जांच की जाने पर वहां कोई लेखा–पुस्तकें नहीं पायी गई एवं चालान लूज पर्चियों के रूप में पाये गये। मैसर्स सूर्या इंजीनियरिंग के पोलोविक्ट्री जयपुर स्थित कार्यालय की जांच में भी कोई लेखा–पुस्तकें पेश नहीं की गई। इस पर सक्षम अधिकारी ने

लगातार.....2

करापवंचन की मंशा से कर योग्य माल को कर चुका घोषित करते हुए परिवहनित किया जाना अवधारित करते हुए माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2) का उल्लंघन मानते हुए माल को निरूद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार किया तथा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आदेश दिनांक 04.03.2000 पारित करते हुए शास्ति रूपये 32,850/— का आरोपण किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2007 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त जांच प्रस्तुत किये गये बिल में कर योग्य माल को करमुक्त घोषित करते हुए परिवहनित किये जाने में अधिनियम की धारा 78(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा था। वाहन चालक के कथनानुसार मैसर्स सूर्या इंजीनियरिंग वर्क्स की जांच की जाने पर कोई लेखा—पुस्तकें पेश नहीं की गई। फैक्ट्री एवं कार्यालय में लूज चालान पाये गये, वे भी अपूर्ण थे। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का समुचित विश्लेषण किये बिना सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा विवादित माल मैसर्स सूर्या इंजीनियरिंग वर्क्स, जयपुर से क्रय किया गया था। मैसर्स सूर्या इंजीनियरिंग वर्क्स को करमुक्त प्रमाण—पत्र प्राप्त है, जिसका इन्द्राज उनके द्वारा जारी किये गये बिल पर किया हुआ है। परिवहनित माल के साथ वांछित बिल एवं बिल्टी मौजूद थे। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के अवांछित कार्यवाही करते हुए शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक भूल की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....3

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवहनित माल के साथ माल से सम्बन्धित बिल एवं बिल्टी मौजूद थे। माल बिल के अनुसार ही पाया गया था। सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण इस आधार पर किया गया है कि करयोग्य माल होते हुए भी कर मुक्त दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने जवाब के साथ विवादित माल के क्रय किये जाने सम्बन्धी मैसर्स सूर्या इंजीनियरिंग वर्क्स का बिल संख्या 203 दिनांक 01.03.2000 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्हें वाणिज्यिक कर विभाग से करमुक्त प्रमाण–पत्र प्राप्त होने का उल्लेख किया हुआ है। इसी आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जारी बिल में कर चुका होने सम्बन्धी अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी के स्तर पर शास्ति आरोपण से पूर्व परिवहनित माल करयोग्य होना प्रमाणित किया जाना अपेक्षित था। सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसी कोई जांच नहीं की गई कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के विक्रेता व्यवहारी द्वारा करमुक्त का अंकन उचित प्रकार किया गया है अथवा करापवंचन के उद्देश्य से। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा परिवहनित माल को करयोग्य मानते हुए शास्ति का आरोण किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 01.7.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य